80

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र0क0 / 2018 निगरानी

II/ निगरानी/ मुरैना/ भू.रा/ 2018/ 2258

श्री राघवेन्द्र सिंह तोमर
द्वारा आज दि. 6-4-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 9-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1—पंचरतन पुत्र रूस्तम सिंह आयु 68 साल
2—नाथूसिंह पुत्र रूस्तम सिंह आयु 65 साल
दोनो जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम पारथ का पुरा मौजा खडियाहार तह0 अम्वाह जिला मुरैना म0प्र0 .....आवेदकगण

बनाम

1—रामस्वरूप उर्फ स्वरूप पुत्र हरिजीवन आयु 78 साल जाति ठाकुर निवासी ग्राम पारथ का पुरा मौजा खडियाहार तह0 अम्वाह जिला मुरैना म0प्र0
2—केदार सिंह
3—परिमाल सिंह
4—सुखराम सिंह पुत्रगण स्व0 श्री ज्ञानसिंह
सभी जाति ठाकुर निवासी ग्राम पारथ का पुरा मौजा खडियाहार तह0 अम्वाह जिला मुरैना म0प्र0 ......अनावेदक

<u>निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान नायव तहसीलदार महोदय अम्वाह जिला मुरैना म0प्र0 द्वारा प्र0क0 37 / 16—17 / अ—27 में पारित दिनांक 20.3.18 के।</u>

श्रीमान जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 के अधीन निम्न प्रकार प्रस्तुत है—

1— यह कि आवेदकगण द्वारा अधी0 न्यायालय में एक आवेदन धारा-178 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 के अधीन अनावेदकगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम-महूरी के खाता क0 37 के सर्वे क0 335 रकवा 0.48 आरे में आवेदकगण 1/2 भाग के तथा अनावेदक केदार सिंह, परिमाल सिंह, सुखराम सिंह 1/2 भाग के सहस्वामी है तथा खाता क0 319 के सर्वे क0 293 रकवा 0.28 आरे, सर्वे क0 295 रकवा 0.62 आरे, सर्वे क0 311 रकवा 0.17 आरे, सर्वे क0 322 रकवा 0.20 आरे, सर्वे क0 336 रकवा 0.40 आरे मे आवेदकगण 75 / 167

02/04/2018
advocate

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो / निग. / मुरैना / भू.रा. / 2018 / 02258

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.06.18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र उपस्थित। यह निगरानी नायब तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 37 / 2016–17 / अ–27 में पारित आदेश दिनांक 20 / 3 / 18 के विरूद्ध म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य आपसी बटबारा 1 / 2 के हिस्सेदार हैं। नायब तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना को आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष के मध्य जो बटवारा किया जा रहा है उनको सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये तथा फर्द बटवारे पर सहमति के अनुसार एवं मौके की स्थिति का पटवारी से निरीक्षण करा कर ही धारा 178 के प्रावधानों के अनुसार ही आदेश पारित करना चाहिये था। 3–अतः नायब तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना का आदेश दिनांक 20.3.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये बटवारे की कार्यवाही करें। सदस्य	